

प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 16.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना गौरीफंटा व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा 106 पौवा नेपाली शराब सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंर्तगत दिनांक 15-04-2021 को थाना गौरीफंटा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भारत नेपाल सीमा पर गस्त व चेकिंग के दौरान ग्राम सरियापारा से 02 अभियुक्तों:-

- 1- भारत राणा पुत्र बृजलाल राणा
- 2- शेरा राणा पुत्र रघुनाथ राणा निवासी गण ग्राम जुगेड़ा कडान वार्ड नं0 10 धनगढ़ी जनपद कैलाली नेपाल राष्ट्र

को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 106 पौवा नेपाली कर्नाली गोल्ड शराब, 2900 नेपाली रुपया, 3550 भारतीय रुपया एवं 02 अदद साइकिल बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तरी के सम्बन्ध में थाना गौरीफंटा पर आवकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर मान्य न्यायालय भेजा गया।

पुलिस टीम का विवरण:-

- 1. SHO सियाराम वर्मा थाना गौरीफंटा, खीरी
- 2. सहायक कमांडेड श्री हरंवश सिंह D कम्पनी 39BN SSB
- 3. हे0कां0 नरेश कुमार सिंह थाना गौरीफंटा खीरी
- 4. HC/GD प्रशांत कुमार स्वेन D कम्पनी 39BN SSB
- 5. HC इशाक वेग D कम्पनी 39BN SSB
- 6. CT ओमकार कुमार वत्स D कम्पनी 39BN SSB
- 7. CT आर एन लंकरा D कम्पनी 39BN SSB

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 150/21 धारा 429 भादवि० व 9/51 वन्यजीव संरक्षण अधि० में वांछित ०६ नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम न अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 150/21 धारा 429 भादिव0 व 9/51 वन्यजीव संरक्षण अधि0 में वांछित अभियुक्तगण 1.असलम खां पुत्र अजीमुल्ला खां 2. जियाउद्दीन पुत्र मोहइउद्दीन 3. वारिस खां पुत्र नफीस खां 4. इस्तियाक पुत्र इसहाक खां 5. छंगा उर्फ यासीन पुत्र वाहिद नि0गण हकीमपुरवा थाना फूलबेहड़ खीरी 6. अहमद खां पुत्र इसरार खां नि0 गुढना थाना फरधान खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद चाकू, 01 अदद बांका बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1. श्याम नारायण सिंह प्र0नि0 थाना फूलबेहड़
- 2. उ0नि0 लोकेश सिंह प्र0चौ0 सुन्दरवल
- 3. हे0का0 राजबहादुर सिंह
- 4. का० श्याम किशुन
- 5. का० मनीराम
- 6. का० धीरज कुमार
- 7. का० विनीत कुमार

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा पेशेवर चोरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए 04 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व पेशेवर, अभ्यस्थ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15-04-2021 को थाना धौरहरा पुलिस द्वारा, अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर चोरी की घटनाएं कारित करने वाले 04 अभियुक्तों :-

- 1. अनन्तू पुत्र सरजू नि० करौहा थाना धौरहरा जनपद खीरी
- 2. सरवन पुत्र बलदेव नि० नयापुरवा मजरा हरदी धौरहरा जनपद खीरी
- 3. सर्वेश पुत्र लालाराम नि० नयापुरवा मजरा हरदी धौरहरा जनपद खीरी
- 4. छोटू उर्फ अशोक कुमार पुत्र लालाराम नयापुरवा मजरा हरदी धौरहरा जनपद खीरी

के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा गोवध के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व पेशेवर, अभ्यस्थ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15-04-2021 को थाना मितौली पुलिस द्वारा, अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर गो कशी व पशुओं के साथ क्रूरता जैसा गंभीर अपराध करने वाले 02 अभियुक्तों:-

- 1. अयूब पुत्र मोईन अली नि० कस्ता मितौली जनपद खीरी
- 2. चिरांग अली पुत्र सफी नि० कस्ता मितौली जनपद खीरी

के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा वन क्षेत्र संबंधी अपराध कारित करने वाले 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व पेशेवर, अभ्यस्थ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15-04-2021 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा, अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर वन क्षेत्र की कीमती लकड़ियो एवं वन क्षेत्र से वन्य जीव व जन्तुओं का शिकार कर उनका विक्रय करके अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले 05 अभियुक्तों:-

- 1. टीकाराम पुत्र पोथी नि0 तकियापुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी
- 2. दिलीप पुत्र टीकाराम नि० तिकयापुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी
- 3. मनजीत पुत्र हरद्वारी नि0 तिकयापुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी
- 4. इतवारी पुत्र बालकराम नि० तिकयापुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी
- 5. गुड्डू पुत्र नोखे नि० तकियापुरवा थाना तिकुनिया जनपद खीरी

के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

 थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 150/21 धारा 429 भादवि० 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में वांछित अभियुक्तों 1.असलम खाँ पुत्र अजीमुल्ला खाँ 2. असिउद्दीन पुत्र मोइद्दीन 3. वारीस खाँ पुत्र नसीम खाँ 4. ईस्तमाक पुत्र इराहाक खाँ 5. छेमा पुत्र वाहिद सर्व निवासी गण हकीमपुरवा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना गौरीफंटा	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार